

क्रमांक 3600-3 एस-71/17241

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, अम्बाला मंडल और
सभी उपायुक्त तथा उप-मंडल अधिकारी।

दिनांक चण्डीगढ़ 18 जून, 1971

विषय :- जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिखने बारे नीति।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430-3एस/71 5968 दिनांक 30 मार्च 1971 की ओर दिलाऊँ और कहूँ कि वर्तमान नीति के अनुसार जिलों में सभी राजपत्रित अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पहले उनके रिपोर्टिंग एथोरिटीज द्वारा इनीशियेट (initiate) करने के पश्चात् उपायुक्त अपने रिमार्क्स रिकार्ड करके सीधे संबंधित विभाग के रिज्यूइंग एथोरिटीज को भेजते हैं। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि जिन कैसों में राजपत्रित अधिकारियों के काम के बारे में विभाग अध्यक्ष के अतिरिक्त और किसी निम्न विभागीय अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो ऐसे कैसों में रिपोर्ट पहले उपायुक्त द्वारा लिखी जानी चाहिये और इसके बाद यह रिपोर्ट संबंधित विभाग अध्यक्ष को भेजी जानी चाहिये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कैसों में उपायुक्तों द्वारा रिमार्क्स रिकार्ड करवाने के लिये गोपनीय रिपोर्ट के ब्लैक फॉर्म (Form) संबंधित विभाग द्वारा ही संबंधित उपायुक्त को भेजने होंगे।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त हिदायतों को अनुपालन के लिये नोट कर लिया जाये।

भवदीय,

हस्ताक्षर,

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा और हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।